

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

मिश्री लाल पिता धनरूप जाट
निवासी- भादवों की कोटडी

बनाम मांगीलाल पिता रामसुख लोहार
निवासी- भादवों की कोटडी

किस्म मुकदमा- वाद पत्र अन्तर्गत धारा - 53 रा.टी.ए.

प्रकरण संख्या- 50/2018

तारीख हुक्म
23.04.2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हु

बाद जाँच वाद पत्र प्रस्तुत हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जावेँ प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जारी किया जाकर मिलस दिनांक 09.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र कोटडी पेश करें ।

सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा

9/5/2018

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट कोटडी पर पेश हुई । वादी मिश्रीलाल व उनके अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी मांगीलाल, दूदाराम, व सोदरा उपस्थित हुये । वादी मिश्रीलाल के द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं कराना आज मेरे सम्मन जाहिर करने से इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है । पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दर्पेतर करे । आदेश आज दिनांक 9/5/2018 को छतुली अदालत कैम्प कोर्ट कोटडी पर सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा



Bohat
23/12
मांगीलाल
मिश्रीलाल
ने दावा न
चलाया
है।